झारखंड जनाधिकार महासभा

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच

श्री राधाकृष्ण किशोर,
वित्त मंत्री, झारखंड सरकार

13 फरवरी 2025

13 FEB 2025
mallik
13/02/25

प्रिय वित्त मंत्री,

राज्य बजट के लिए सुझाव

विधानसभा के बजट सत्र और 3 मार्च को झारखंड के लिए 2025-26 का बजट पेश किए जाने की आशा में हम, झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से, झारखंड में हाशिए पर पड़े समुदायों की भलाई से संबंधित कुछ जरूरी मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं।

1. झारखण्ड में पिछले 5 महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन है, जिसमें प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, जबकि मईया सम्मान योजना के लिए 2,500 रुपये प्रति माह है। यह असामान्य है, क्योंकि पेंशनभोगी (विधवा और बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति) समाज के सबसे कमजोर सदस्य हैं। इस अंतर को कम करने के लिए पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए।

3. इसी तरह स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को भी साल में सिर्फ 10 महीने के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। वे मईया सम्मान योजना के लिए पात्र नहीं हैं। नतीजतन, उन्हें कड़ी मेहनत करने के बावजूद अन्य महिलाओं की तुलना में कम रकम मिलता है। उनके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए और साथ ही उन्हें मईया सम्मान योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

4. 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने "7 गारंटी" देने का वादा किया था। इनमें से अब तक सिर्फ एक (मईया सम्मान योजना का लाभ बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह करना) पूरी हुई है। सभी 7 गारंटी को बिना देरी किए पूरा करना चाहिए।

5. झारखंड में शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा है। एक तिहाई प्राथमिक स्कूलों में एक ही शिक्षक है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का घोर उल्लंघन है। शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत आरटीई (शिखा अधिकार क़ानून) के नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, सभी गर्भवती महिलाओं को प्रति बच्चे 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ की पात्रता है। आज की कीमतों पर, इसका मतलब लगभग 12,000 रुपये होगा। केंद्र की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, इन अधिकारों को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है और वंचित कर दिया गया है। झारखंड सरकार को ओडिशा राज्य में ममता योजना की तर्ज पर अपनी खुद की मातृत्व लाभ योजना शुरू करनी चाहिए।

7. हम जानते हैं कि इन मांगों के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए गैर-ज़िम्मेदार व अनियंत्रित माइनिंग एवं जन विरोधी कॉर्पोरेट पक्षीय नीति से बचना चाहिए। अन्य कदमों के अलावा, कृपया शहरी संपत्ति करों में वृद्धि पर विचार करें। इससे शुरू में बहुत अधिक राजस्व नहीं मिल सकता है, लेकिन यह कम से कम अधिक आर्थिक समानता की दिशा में एक कदम होगा।

कृपया इन जरूरी मुद्दों पर गौर करें और आगामी राज्य बजट में इनके लिए आवश्यक प्रावधान करें।

सादर,

महासभा की ओर से - अजय एक्का, अफ़ज़ल अनीस, अमन मरांडी, अम्बिका यादव, अम्बिता किस्कू, अपूर्वा, अशोक वर्मा, भरत भूषण चौधरी, बिंसय मुंडा, बिरसिंग महतो, चार्लेस मुर्मू, चंद्रदेव हेम्ब्रम, दिनेश मुर्मू, एलिना होरो, जेम्स हेरेंज, जॉर्ज मोनिपल्ली, ज्यां द्रेज़, ज्योति बहन, ज्योति कुजूर, कुमार चन्द्र मार्डी, लीना, मंथन, मनोज भुइयां, मेरी हंसदा, मुन्नी देवी, मीना मुर्मू, नरेश पहाड़िया, प्रेम बबलू सोरेन, पी एम टोनी, प्रियाशीला बेसरा, नन्द किशोर गंझू, प्रवीर पीटर, परन, रिया तुलिका पिंगुआ, राजा भाई, रंजीत किंडो, रमेश जेराई, रोज खाखा, रोज मधु तिर्की, रमेश मलतो, रेजिना इन्द्वर, रेशमी देवी, राम कविन्द्र, संदीप प्रधान, संगीता बेक, सिराज दत्ता, शशि कुमार, संतोषी लकड़ा, सिसिलिया लकड़ा, शंकर मलतो, टॉम कावला, टिमोथी मलतो, विनोद कुमार, विवेक कुमार

(PRAVEER PETER)
Jean Drèze
Ashok Verma
Rose Xaxa
Riya Tulika Pingua
अम्बिका यादव
अपूर्वा
मनोज भुइयां

झारखंड जनाधिकार महासभा

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच

13 February 2025

Shri Radhakrishna Kishore
Finance Minister, Government of Jharkhand

Dear Finance Minister,

Recommendations for the State Budget

In anticipation of the Budget Session of the Vidhan Sabha, and of the presentation of the 2025-26 Budget for Jharkhand on 3 March, we are writing on behalf of Jharkhand Janadhikar Mahasabha to draw your attention to some urgent matters concerned with the wellbeing of marginalised communities in Jharkhand.

1. Social security pensions have not been paid for the last 5 months. This is a gross violation of Supreme Court orders, prescribing prompt payment by the 7th of each month. A system must be put in place to ensure timely payment every month.

2. Social security pensions are just Rs 1,000 per month, compared with Rs 2,500 per month for Maiyya Samman Yojana. This is anomalous, since pensioners (widows and elderly or disabled persons) are the most vulnerable members of society. Pensions should be raised to reduce this gap.

3. Similarly, midday meal cooks in schools receive only Rs 1,000 per month, that too for just 10 months in the year. They are not eligible for Maiyya Samman Yojana. As a result, they receive less than other women, despite working hard. Their salaries should be raised, and in addition, they should be allowed to benefit from Maiyya Samman Yojana.

4. In the run-up to the 2024 Vidhan Sabha elections, the INDIA had committed itself to "7 guarantees". Of these, only one (increase of Maiyya Samman Yojana benefits to Rs 2,500 per month) has been fulfilled so far. Provision should be made for redeeming all 7 guarantees without delay.

5. Jharkhand has the worst teacher shortages among all Indian states. One third of primary schools have a single teacher. This is a gross violation of the Right to Education Act 2009. Teachers should immediately be appointed in accordance with RTE norms.

6. Under the National Food Security Act 2013, all pregnant women are entitled to maternity benefits of Rs 6,000 per child. At today's prices, this would mean around Rs 12,000. Under the centre's Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, these entitlements have been drastically diluted and denied. The Government of Jharkhand should launch its own maternity benefits scheme, on the lines of the Mamta Scheme in Odisha.

7. We are aware that these demands call for additional revenue mobilization. Among other steps, please consider an increase in urban property taxes. This may not raise much revenue initially, but it will be a step towards greater economic equity at least.

Please look into these urgent issues and make necessary provisions for them in the upcoming state budget.

Regards

(PRAVEER PETER) Jean Drèze Ross Xaxa

अपूर्वा Riya Tulika Pingua

झारखंड जनाधिकार महासभा

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच

दिनांक: 13/02/2025

प्रेषित
श्री राधाकृष्ण किशोर
वित्त मंत्री, झारखंड सरकार

महाशय

झारखंडी जनमत अनुरूप राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर कार्रवाई की मांग

जोहार. विधान सभा चुनाव के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा समेत अनेक जन संगठनों ने मिलकर लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया था जिसके तहत लोगों को सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों के विरुद्ध व जन अधिकारों के पक्ष में संगठित किया गया था. चुनाव में झारखंडियों ने सांप्रदायिक, विभाजनकारी और झारखंड विरोधी राजनीति को नकार दिया है. लोगों को आशा है कि इंडिया गठबंधन सरकार झारखंडी सोच को आगे बढ़ाएगी और और जन मुद्दों पर काम करेगी.

गठबंधन दलों ने अपने घोषणा पत्रों में राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर वादे किये हैं. हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार अपने पहले 6 महीने में निम्न वादों पर कार्यवाई करे:

1. राज्य की लचर सार्वजानिक शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना सरकार की पहली प्राथमिकता बने.
2. लैंड बैंक व भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 को तुरंत रद्द किया जाए. ऑनलाइन भूमि दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया में हुए गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए समयबद्ध अभियान चलाया जाए.
3. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टों का बिना कटौती वितरण किया जाए. सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार (CFRR), जो सब से महत्वपूर्ण वन अधिकार है, जिसका पट्टा सरकार के निर्देश के बावज़ूद अभी तक नहीं बांटा गया है, को अविलम्ब बांटा जाए.
4. पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वशासन के अधिकारों को पेसा के संगत पुर्णतः लागू किया जाए एवं आदिवासी सोच अनुसार बनाकर पेसा नियमावली को अधिसूचित कर कड़ाई से लागू किया जाए. राज्य के गैर-अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची में शामिल किया जाए.
5. झारखंडी जनाकांक्षाओं के आधार पर स्थानीयता और नियोजन नीति को तुरंत लागू किया जाए. सभी रिक्त पदों को भरा जाए खास कर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा सम्बंधित सभी पदों को. सभी नियुक्तियों में प्राथमिकता स्थानीय व आदिवासी-मूलवासियों को दी जाए.
6. दलित समुदाय व भूमिहीनों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आवेदकों को तुरंत जाति प्रमाण पत्र दिया जाए. स्थानीय भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन दिया जाए.
7. आंगनवाड़ी व मध्याह्न भोजन में रोज़ अंडे दिया जाए.
8. मॉब लिंचिंग के विरुद्ध विशेष कानून बने एवं इससे सम्बंधित सर्वोच्च न्यायलय के वर्तमान गाइडलाइन्स को लागू किया जाए.
9. लम्बे समय से जेलबन्द विचाराधीन कैदियों की रिहाई और फर्जी मामलों में फंसे आदिवासी-मूलवासियों व वंचितों के मामलों को बंद करने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाये.
10. मनरेगा समेत हर सरकारी योजना में व्याप्त ज़मीनी भ्रष्टाचार और ठेकेदारी व्यवस्था पर तुरंत अंकुश लगे. सक्रिय विकेंद्रित शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जाए.
11. सभी आयोगों - विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, लोकपाल आदि – में नियुक्ति कर इन्हें सक्रिय किया जाए.

धन्यवाद

अजय एक्का, अफ़ज़ल अनीस, अमन मरांडी, अम्बिका यादव, अम्बिता किस्कू, अपूर्वा, अशोक वर्मा, भरत भूषण चौधरी, बिंसय मुंडा, बिरसिंग महतो, चार्लेस मुर्मू, चंद्रदेव हेम्ब्रम, दिनेश मुर्मू, एलिना होरो, जेम्स हेरेंज, जॉर्ज मोनिपल्ली, ज्यां ड्रेज़, ज्योति बहन, ज्योति कुजूर, कुमार चन्द्र मार्डी, लीना, मंथन, मनोज भुइयां, मेरी हंसदा, मुन्नी देवी, मीना मुर्मू, नरेश पहाड़िया, प्रेम बबलू सोरेन, पी एम टोनी, प्रियाशीला बेसरा, नन्द किशोर गंझू, परन, रिया तुलिका पिंगुआ, राजा भाई, रंजीत किंडो, रमेश जेराई, रोज खाखा, रोज मधु तिर्की, रमेश मलतो, रेजिना इन्द्वर, रेशमी देवी, राम कविन्द्र, संदीप प्रधान, संगीता बेक, सिराज दत्ता, शशि कुमार, संतोषी लकड़ा, सिसिलिया लकड़ा, शंकर मलतो, टॉम कावला, टिमोथी मलतो, विनोद कुमार, विवेक कुमार